दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या : 104, प्रथम तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1225)

Room No.: 104, 1st Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1225)

फाइल संख्या: आरबीसी/336/हिं.स.(08)/2015/2865-22_114 दिनांक: 07-09-2015

परिपत्र

भारत देश में एक बड़े भू-भाग में सबसे अधिक बोली तथा समझी जाने वाली सरल, समृद्ध एवं उपयोगी भाषा हिंदी है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को एकमत से संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी (देवनागरी लिपि) को स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अत: इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने दैनिक कार्यालयी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करें। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात जैसे साधारण आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, सूचनाएं, ज्ञापन, निविदा सूचनाएं इत्यादि को द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना एक सांविधिक आवश्यकता है। इसी प्रकार सभी फार्मों और लेखन सामग्री की विषय वस्तु जैसे फाइल कवरों, लिफाफों, पत्र-शीर्ष, रबड़ की मुहरों, होर्डिंग्स, नाम-पट्टों इत्यादि को भी द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी) रूप में बनाया जाना आवश्यक है। जिसमें हिंदी पहले/ऊपर और अंग्रेजी बाद में/नीचे लिखी होनी चाहिए। राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में दिए जाने चाहिए।

हिंदी दिवस-2015 के शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे भारत सरकार की राजभाषा नीति के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का संकल्प लें।

कुलसचिव

सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण - सूचना-पट्ट